न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 81/18
निर्णय दिनांक: 14.06.2018

1. सुमेरा पुत्र सोन्या जाति बलाई नि0 मोरूदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. जोरू पुत्र सोन्या
2. गोपाल पुत्र सोन्या
3. आंचीदेवी पुत्री सोन्या
4. मनभर पुत्री सोन्या
   समस्त जाति बलाई नि0 मोरूदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
5. तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादी स्व0 चौथीदेवी पत्नि घीसा उर्फ बक्सा के विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है उक्त वंशावली के अनुसार घीसा उर्फ बक्सा व चौथीदेवी के कोई पुत्र संतान नहीं थी केवल मात्र एक पुत्री बोदीदेवी थी जिसके चार लड़के व दो लड़किया थी तथा बोदीदेवी व उसके पति सोन्या ने अपनी स्वेच्छा व सहमति से अपने पुत्र सुमेरा को उसकी नाबालिक अवस्था में जब सुमेरा की आयु 4–5 वर्ष की थी तब ही चौथीदेवी व घीसा उर्फ बक्सा ने उसको अपने पास रखकर पुत्र की तरह उसका पालन पोषण किया तब से वादी चौथीदेवी के परिवार के साथ रहकर जीवनयापन करता आ रहा है। चौथीदेवी के कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 101/7 रकबा 15 बीघा वाकै ग्राम मोरूदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिस पर चौथीदेवी के साथ वादी काबिज काश्त होकर उसका उपयोग उपभोग करता आ रहा है चौथीदेवी का स्वर्गवास दिनांक 26.07.07 को ग्राम मोरूदा में हो गया है सिजके जिसके समस्त दैहिक क्रियाकर्म वादी ने सम्पन्न किये है तथा उक्त आराजी पर वादी ही काबिज काश्त है व उपयोग व उपभोग करता आ रहा है वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 4 मृतक चौथीदेवी की पुत्री बादी के जांयदा पुत्र है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

वर्णित अनुसूची के तहत द्वितीय श्रेणी के वारिस है किन्तु उक्त आराजी पर अकेला वादी काबिज है तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 ने अपना हक व हिस्सा वादी के पक्ष में ही छोड़ दिया इसी कारण सम्पूर्ण आराजी पर वादी ही काबिज काश्त है व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है वर्तमान में जमीनों की बाजार दर बढ़ी हुई है इस कारण प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है तथा वह वादी की उक्त आराजी को चौथीदेवी के विधिक वारिस बनकर अपने नाम खातेदारी खुलवाकर उक्त आराजी से वादी को बेदखल करने पर उतारू है इसी उदेश्य से प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 ने दिनांक 04.06.18 को उक्त आराजी पर आकर वादी को उक्त आराजी से बेदखल करने तथा उक्त आराजी के राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम दर्ज करवानें की धमकी दी ऐसी स्थिति में वादी को अपने अधिकारों की रक्षा हेतु यह वाद बाबत् इस्तकरार हक विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र श्रीरामपुरा में पेश हुयी। वकील वादी व प्रतिवादीगण स्वंय उपस्थित है पक्षकारान ने राजीनामा पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी चौथीदेवी पत्नि घीसा के नाम खातेदारी में दर्ज है व चौथीदेवी के एक पुत्री बोदीदेवी है कोई अन्य वारिस नहीं है वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 बोदीदेवी के पुत्र व पुत्रीया है इस कारण उक्त आराजी में वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के समान रूप से खातेदारी दर्ज किये जाने में कोई आपति नहीं है। इस सम्बन्ध में वारिसों के बाबत् ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र व पटवारी रिपोर्ट व फर्द मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें भी चौथीदेवी के कोई जांयदा पुत्र न होना व एक पुत्री बोदीदेवी ही होना जिसके वादी व प्रतिवादीगण जायंदा वारिस होना बताया है उक्त तथ्यों से वादी के वाद के तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः पक्षकारान ने मुताबिक राजीनामा उक्त वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिस पर पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् वादी का वाद निम्न निर्देश के साथ डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बाबत इस्तकरार हक राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री पारित कर आदेश दिये जाते है कि आराजी खं0नं0 101/7 रकबा 15 बीघा वाकै ग्राम मोरूदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में उक्त आराजी चौथीदेवी की खातेदारी में दर्ज है चौथीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके विधिक वारिसों की नियमानुसार जांच कर तहसीलदार फुलेरा के नामान्तकरण की कार्यवाही करें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प श्रीरामपुरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

मुकाम सांभर लेक

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक
बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

सुमेरा बनाम जोरू वगै0

दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 81/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री दिव्यराज वीर व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत इस्तकरार हक राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री पारित कर आदेश दिये जाते है कि आराजी खं0नं0 101/7 रकबा 15 बीघा वाकै ग्राम मोरूदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में उक्त आराजी चौथीदेवी की खातेदारी में दर्ज है चौथीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके विधिक वारिसों की नियमानुसार जांच कर नामान्तिकरण की कार्यवाही करें। ....निज .... बाबत्.................................... खर्चा इस मुकदमे के मय मुबलिग.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख सूद बशरह...का अदा करे। अदायगी तक.................................

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत..................
उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

मुहर
ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner